



राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, म.प्र.
(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार)



पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन
पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी
भोपाल-462016 (म.प्र.)

वेबसाइट-<http://www.mpseiaa.nic.in>

दूरभाषनं. - 0755-2466970, 2466859

फैक्सनं. - 0755-2462136

No: 490/SEIAA/2025

Date: 25/05/2025

प्रति,

Shri Shubham Yadav

S/o Shri Ramadhar Yadav,

166, Shankarpur, Makshi Road, Ujjain (MP)-456006

E-mail - ethannat2022@gmail.com

विषय :- Proposal No. SIA/MP/MIN/518490/2025- Case No. 2575/2025 Prior Environment Clearance for Stone & Murum Quarry (opencast semi mechanized method) in an area of 4.00 ha. for production capacity of Stone 17238 cum/year and Murum 5776 cum/year at Khasra No. 236, Village-Badkummed, Tehsil-Ujjain, Dist-Ujjain (MP) by Shri Shubham Yadav S/o Shri Ramadhar Yadav, 166, Shankarpur, Makshi Road, Ujjain (MP)-456006. Reg. EC validity Extension.

विषयान्तर्गत प्रकरण में राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) द्वारा 779वीं बैठक दिनांक 26.03.2025 में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति वैधता लीज अवधि तक बढ़ाये जाने की अनुशंसा कर प्रकरण दिनांक 05.04.2025 को राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) को अग्रेषित किया गया। प्रश्नाधीन प्रकरण SEIAA की बैठक में विचारण नहीं होने के कारण 45 दिवस से अधिक की अवधि समाप्त हो गई है।

पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की ईआईए अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के पैरा 8 की कंडिका (iii) इस प्रकार है - "In the event that the decision of the regulatory authority is not communicated to the applicant within the period specified in subparagraphs (i) or (ii) above, as applicable, the applicant may proceed as if the environment clearance sought for has been granted or denied by the regulatory authority in terms of the final recommendations of the Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee concerned."

अतः ईआईए अधिसूचना के पैरा 8 की कंडिका (iii) के अनुसार उक्त प्रकरण में SEAC की 779वीं बैठक दिनांक 26.03.2025 में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति की वैधता लीज अवधि तक बढ़ाये जाने हेतु की गई अनुशंसा को अंतिम निर्णय मानते हुए राज्य स्तरीय समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा "Deemed Approval" माना जाकर पर्यावरण स्वीकृति की वैधता लीज अवधि तक बढ़ाये जाने की स्वीकृति दी जाती है। तदनुसार प्रकरण में ईआईए अधिसूचना के पैरा 8 की कंडिका (iii) के अनुसार आगामी आवश्यक वैधानिक कार्यवाही करने हेतु आप स्वतंत्र हैं।

(प्रमुख सचिव, पर्यावरण विभाग द्वारा अनुमोदित)

(श्रीमन् शुक्ला)

कार्यपालन संचालक, एण्डो

एवं सदस्य सचिव, SEIAA

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. संयुक्त सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड़, नई दिल्ली - 110003।
3. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय म.प्र. शासन, मंत्रालय भोपाल (म.प्र.)।
4. अध्यक्ष, SEIAA, एपको पर्यावरण परिसर भोपाल (म.प्र.)।
5. अध्यक्ष SEAC, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई-5 अरेरा कॉलोनी भोपाल (म.प्र.)।
6. सदस्य सचिव, SEAC एवं सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई-5 अरेरा कॉलोनी भोपाल।
7. कलेक्टर, जिला उज्जैन (म.प्र.)।
8. वन मंडलाधिकारी, जिला उज्जैन (म.प्र.)।
9. निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, केन्द्रीय पर्यावरण भवन, लिंक रोड़ नं. 03, रवि शंकर नगर, भोपाल।
10. संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म मध्यप्रदेश, 29-ए, खनिज भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल - 462002।
11. खनिज अधिकारी, जिला उज्जैन (म.प्र.)।
12. संबंधित फाईल।

की ओर सूचनार्थ।

कार्यपालन संचालक, एपको
एवं सदस्य सचिव, SEIAA

11. Case No. 2575/2025 Shri Sanjay Yadav S/o Shri Ramadhar Yadav, 40, Mahshweta Nagar, Ujjain (MP)-456006.Prior Environment Clearance for Stone & Murum Quarry in an area of 4.00 ha. (15,352 cum/year) at Village-Badkummed, Tehsil-Ujjain, Dist-Ujjain (MP). EC validity Extension.

This is a case of mining of –Stone & Murram. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site is located at –*Khasra No.-236, Vill-Badkummed, Tehsil-Ujjain, Distt-Ujjain* in 4.00ha.

The case has been submitted for **for extension of validity of EC**. The scrutiny of the case reveals that:

- Earlier, the EC was recommended by SEAC in the 194th meeting dated 31.05.2015 issued by SEIAA vide no. 3758-59/SEIAA/15 dated 16-07-2015.
- EC Transfer issued vide letter no. 948-49 dated 24-07-2023

परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमित सक्सेना, मेसर्स Apex Mintech Consultants, Udaipur द्वारा प्रस्तावित खदान का दिनांक 26/03/25 समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

इस प्रतिवेदन का उद्देश्य SEIAA, भोपाल से पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता विस्तार प्राप्त करना है, जो कि बक-खुम्मेदस्टोन (गिट्टी) खदान के लिए है, जो कि सर्वेक्षण क्रमांक 236 (शासकीय भूमि) में स्थित है, जिसकी क्षेत्रफल 3.70 हेक्टेयर है, जो ग्राम बक-खुम्मेद, तहसील एवं जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश के समीप स्थित है, तथा प्रस्तावित उत्पादन क्षमता 17,328 घनमीटर स्टोन (गिट्टी) की है।

प्रारंभ में, खनिज स्टोन (गिट्टी) एवं मुर्रम की खदान पट्टा श्रीमती आशा मेहता, पत्नी श्री संजय मेहता, निवासी 40, महाश्वेता नगर, उज्जैन (मध्यप्रदेश) के पक्ष में मध्यप्रदेश लघु खनिज नियम, 1996 के नियम 18(2) के अंतर्गत जिला कलेक्टर (खनिज शाखा), उज्जैन द्वारा 10 वर्षों की अवधि के लिए स्वीकृत किया गया था।

राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (SEIAA), भोपाल से पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त की गई थी, जिसमें लक्षित उत्पादन स्टोन (गिट्टी) 17,328 एवं मुर्रम 5,776 घनमीटर प्रति वर्ष अनुमोदित किया गया था, जिसका पत्र क्रमांक 3578/SEIAA/15 दिनांक 16.07.2015 के माध्यम से स्वीकृत किया गया था।

खननपट्टा अनुबंध 5.12.2024 को निष्पादित एवं पंजीकृत किया गया, जिसकी अवधि 10 वर्ष अर्थात् 5.12.2014 से 4.12.2024 तक है। इसके पश्चात्, पट्टा धारक श्रीमती आशा यादव ने 8.09.2022 को पट्टा हस्तांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया, जो कि श्री शुभम यादव, पुत्र श्री रामाधार यादव, निवासी 166, शंकरपुर, मकसी रोड, उज्जैन जिला उज्जैन के पक्ष में था।

आवेदन स्वीकृत हो गया, अतः जिला कलेक्टर (खनिज शाखा), उज्जैन (म.प्र.) द्वारा मध्यप्रदेश लघु खनिज नियम, 1996 के नियम 35(1) के तहत पत्र क्रमांक 1628/यू.पी./ना.क्र./37-13/खनिज/2022-23, उज्जैन, दिनांक 20.09.2022 के माध्यम से पट्टा हस्तांतरित कर दिया गया।

- इसके पश्चात, पट्टा धारक श्रीमती आशा यादव ने 8.09.2022 को पट्टा हस्तांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया, जो कि श्री शुभम यादव, पुत्र श्री रामाधार यादव, निवासी 166, शंकरपुर, मक्सी रोड, उज्जैन जिला उज्जैन के पक्ष में था।
- आवेदन स्वीकृत हो गया, अतः जिला कलेक्टर (खनिज शाखा), उज्जैन द्वारा मध्यप्रदेश (.प्र.म) लघु खनिज नियम, 1996 के नियम 35(1) के तहत पत्र क्रमांक 1628/यू.क्र.ना/पी.37-13/खनिज/2022-23, उज्जैन, दिनांक 20.09.2022 के माध्यम से पट्टा हस्तांतरित कर दिया गया।
- इसके पश्चात, पट्टा धारक श्रीमती आशा यादव ने 8.09.2022 को पट्टा हस्तांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया, जो कि श्री शुभम यादव, पुत्र श्री रामाधार यादव, निवासी 166, शंकरपुर, मक्सी रोड, उज्जैन जिला उज्जैन के पक्ष में था।
- आवेदन स्वीकृत हो गया, अतः जिला कलेक्टर (खनिज शाखा), उज्जैन द्वारा मध्यप्रदेश (.प्र.म) लघु खनिज नियम, 1996 के नियम 35(1) के तहत पत्र क्रमांक 1628/यू.क्र.ना/पी.37-13/खनिज/2022-23, उज्जैन, दिनांक 20.09.2022 के माध्यम से पट्टा हस्तांतरित कर दिया गया।

उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति, लीज वैधता अवधि तक बढ़ाये जाने की अनुशंसा करती है।